MOST URGENT VIDHAN SABHA QUESTION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI PUBLIC WORKS DEPARTMENT 5TH LEVEL "B" WING DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI

F.11(24)/PWD-II/VSQ/ST-Que.20/Bud. Sess./22/2301-2302 Dated: 2203/222

То

The Dy. Secretary, Question Branch, Delhi Legislative Assembly, Question Branch, Old Secretariat, New Delhi- 110054.

Sub: - Reply of Legislative Assembly (Starred) Question No. 20 raised by Sh. Rohit Mehraulia, Hon'ble MLA during Budget Session 2022 due for 24.03.2022.

Sir,

Kindly refer to Dy. Secretary (Q.B) Legislative Assembly Secretariat (Question Branch) letter No. F. 11(B-1) VI/2020-25/VSS/Question Branch/2885 dated 14/03/2021 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl: As above

Dy. Secretary (PWD/VS) Public Works Depart Govt. of NCT of Delhi riat. N. Delhi Dated: 22/03/222

F.11(24)/PWD-II/VSQ/ST-Que.20/Bud. Sess./22/ 2 361-Delhi Secreta

Copy for information to:-

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD), 6th Level, A-Wing, Delhi Sectt. New Delhi.

विभाग का नामः लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार विभाग का पताः तीसरा तल, ए–विंग, एम.एस.ओ बिल्डिंग, आई.टी.ओ. इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली–110002

तारांकित प्रश्न संख्याः 20 दिनांकः 24.03.2022 प्रश्नकर्ता का नामः श्री रोहित महरौलिया क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री, लोक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगें किः

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
क)		नाले के उपर अतिकमण के कारण इसकी मरम्मत व सफाई ठीक से नहीं हो पा रही है।
ख)	क्या यह भीसत्य है कि विधायक द्वारा इस नाले की स्थिति का निरीक्षण सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की उपस्थिति में किया गया था;	जी हॉ।
ग)	विधायक द्वारा अनेक अनुस्मारक दिए जाने और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाने के बावजूद इस नाले की मरम्मत न किए जाने के क्या कारण हैं, और	
घ)	यह मरम्मत कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?	नाले पर से अतिक्रमण हटने के बाद ही नाले की मरम्मत का कार्य आरंभ किया जा सकेगा ।

यह उत्तर माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

22/3/22